प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 09.09.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

वादी की नाबालिग पुत्री को साजिशन भगा ले जाने के आरोप में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹35 हजार अर्थदण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना कटरा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 06 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-42, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र श्रीकृष्ण नि0 वनतला, थाना पाली, जनपद हरदोई को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹35 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कटरा पुलिस की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग लडकी को किया बरामद, अभियुक्त को दिलाई सजा

दिनांक 15.06.2021 को वादी द्वारा थाना कटरा में लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उनकी बेटी दिनांक 30.05.2021 को घर से कही चली गयी हैं तथा तहरीर में शक के आधार पर अर्जुन पुत्र श्रीकृष्ण नि0 ग्राम वनतला, जनपद हरदोई व टिन्कू पुत्र अज्ञात नि0 गोटिया राजेपुर, जनपद फतेहगढ को नामजद किया । मामले की गम्भीरता एवं वादी की तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कटरा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर विवेचक उ0नि0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र श्रीकृष्ण नि0 ग्राम वनतला, थाना पाली, जनपद हरदोई को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹35 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

अर्जुन पुत्र श्रीकृष्ण, नि0 ग्राम वनतला, थाना पाली, जनपद हरदोई ।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 286/2021, धारा 363/366 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट, थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण में अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त द्वारा वादी के नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा अर्जुन पुत्र श्रीकृष्ण नि0 ग्राम वनतला, थाना पाली, जनपद हरदोई को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹35 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।